

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/

1221

दिनांक

03/06/2022

प्रार्थीगण :-

1. नखताराम 2. वस्ताराम 3. चनणाराम पि.
तुलछा 4. मिरगोदेवी पत्नि तुलछ 5. सरूपा
6. नारणा पि. खीमा 7. मिश्रा पुत्र दुर्गा
जातियान दर्जी, निवासी भोमासर (तारातरा)
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1. रामा पुत्र कुंभा, जाति जाट 2. मोहन पुत्र
चुला 3. चम्पा पुत्र वीरमा 4. खेता पुत्र सोना
के का.मु. :- 4/1. भोजा 4/2. भूरा पि. खेता
5. गुला पुत्र वगता 6. हेमा पुत्र कुम्भा 7. पोकरा
पुत्र मोटा 8. उमा पुत्र मदा, जातियान दर्जी
निवासी भोमासर (तारातरा), तहसील चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 133/2021

दिनांक : 03.06.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र तारातरा के मौजा भोमासर के खेत खसरा सं. 1082 रकबा 27.03 बीघा एवं मौजा नरोंणियों का तला के खसरा सं. 1446/1326 रकबा 09.01 बीघा, खसरा सं. 1442/1326 रकबा 27.00 बीघा, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे ।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है । प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/1225 to 1225

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण नखताराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण रामा वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
चौहटन

दिनांक

03/06/2022



(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
चौहटन